



झारखण्ड सरकार  
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-14 में निहित प्रावधान के संदर्भ में पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत नोडल पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है जो अधिनियम एवं Food Security Allowance Rules, 2015 के प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

  
(विनय कुमार चौबे),  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- खा०प्र०-1/ज०वि०प्र० (रा०खा०सु०) 7-3/2013 - 3825 दिनांक - 08-08-15  
प्रतिलिपि - विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, राँची एवं जमशेदपुर/अपर समाहर्ता (आपूर्ति), धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।